प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.04.2025

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 11.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 10:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 433 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-171 , ट्रांस हिंडन जोन-145 , तथा ग्रामीण जोन-117 कुल -433 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा ऑटो में सवारी के साथ लूटपाट करने वाले गैंग के दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट का एक मोबाइल फोन, एक लैपटाप मय चार्जर, लूट के मोबाइल फोन को बेचकर प्राप्त 2000/- रूपए व घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद।

आज दिनांक 12.04.2025 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग के दौरान ऑटो में सवारियों को बैठाकर उन्हें अंधेरे एवं सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट की घटना कारित करने वाले दो अभियुक्त 1. सचिन पुत्र मंगल कश्यप निवासी चौधरी पार्किंग वाली गली सिहानी गांव थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र लगभग 22 वर्ष 2. चेतन शर्मा पुत्र स्वर्गीय प्रवेश शर्मा निवासी 249 विकलांग कॉलोनी थाना नंदग्राम हाल पता किराए का मकान शताब्दीपुरम विशाल मेगा मार्ट के पास थाना मधूबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र लगभग 28 वर्ष को पुराने बस अड्डा के पुल के नीचे से लूट का एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप मय चार्जर व अन्य लूट के मोबाइल से सम्बन्धित 2000/- रुपए सहित अन्तर्गत धारा 304(2)/317(2) बी0एन0एस0 में गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछने पर एक स्वर मे बताया कि साहब हम ऑटो में सवारियो को बैठाकर उन्हें अंधेरे एवं सुनसान जगह ले जाकर उनको पास मौजूद सामान को लूट/छीन लेते है। यह मोबाइल, लैपटॉप व लैपटॉप चार्जर और एक टैब और एक बैग जिसमे कपड़े और कुछ पैसे थे हम दोनों और हमारे एक साथी राकेश जो नंदग्राम में रहता है जिसका घर हमें नहीं मालूम है हम तीनो ने मिलकर लगभग 1 माह पूर्व एक सवारी को इसी ऑटो नं0 UP14 ET 8639 में बैठाया और पटेल नगर में ले जाकर उसका सारा सामान छीन लिया था यह मोबाइल और लैपटॉप व लैपटॉप चार्जर उसी सवारी से छीने हुए हैं। बाकि टैब और बैग राकेश के पास है और लगभग 25 दिन पूर्व बैट्री टेम्पो में एक सवारी व्यक्ति को बैठाकर नंदग्राम में उस व्यक्ति से उसका मोबाइल और 5000 रुपये छीन लिए थे, पैसे हमसे खर्च हो गए और मोबाइल हमने राह चलते व्यक्ति को 3000 रुपये में बेच दिया था | हम दोनों के हिस्से में 1500 -1500 रुपये आये थे। जो रुपये हमारे पास हैं उसी मोबाइल को बेचकर मिले रुपयों में से बचे रुपये हैं, बाकि रुपये खर्च हो गए | हम लोग इस ऑटो व बैट्री ऑटो से लूट व छिनेती की घटना करते है और आज यह सामान हम रात्रि में राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर बेचने वाले थे तथा और घटना के उद्देश्य के खडे थे कि आपने हमें पकड़ लिया |

नाम पता अभियुक्तगण

1.सचिन पुत्र मंगल कश्यप निवासी चौधरी पार्किंग वाली गली सिहानी गांव थाना नंदग्राम गाजियाबाद उम्र लगभग 22 वर्ष

2. चेतन शर्मा पुत्र स्वर्गीय प्रवेश शर्मा निवासी 249 विकलांग कालोनी थाना नंदग्राम हाल पता किराए का मकान शताब्दीपुरम विशाल मेगा मार्ट के पास थाना मधूबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र लगभग 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. लूट का एक मोबाइल फोन
2. एक लैपटॉप Lenovo कंपनी व एक लैपटॉप चार्जर
3. लूट के मोबाइल फोन को बेचकर प्राप्त रुपयों में शेष 2000 रुपए /-

आपराधिक इतिहास

अभियुक्तगण के विरूद्ध चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट के 04-04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम